तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.07.2024	राजस्व वाद मु.न. 89/2024 अनवान लिछमा आदि बनाम प्रेमप्रकाश आदि पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। बहस उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पर सुनी गइ। प्रार्थी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि वादीगण / अप्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवानी दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व वादगत खेत खसरा नम्बर 1266/387 तादादी 0.15 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 576 तादादी 5.70 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 19 तादादी 5.24 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 204 तादादी 3.30 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 340 तादादी 3.10 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 524 तादादी 6.89 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1284/337 तादादी 8.17 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.54 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1291/650 तादादी 11.71 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1290/650 तादादी 5.84 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1288/387 तादादी 1.82 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1289/650 तादादी 2.63 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 186 तादादी 7.25 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1287/387 तादादी 5.86 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1292/650 तादादी 13.71 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1283/337 तादादी 4.39 हैक्टेयर रोही मौजा झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ की घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया हैं । वादीगण द्वारा वादगत खेत खसरान का खातेदारो के मध्य एक दावा सविता बनाम आसुराम वगैराह नम्बर मुकदमा 24/05 घोषणात्मक, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का मान्य न्यायालय के समक्ष चला था। जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2007 को हो गया। उक्त दावा की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, अपील संख्या 41/2007 व अपील संख्या 56/2007 प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय भी दिनांक 16.03.2007 को हो गया तथा मान्य् न्यायालय का निर्णय कायम रखा । राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय की अपील वादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय दिनांक 31.03.2024 को हो गया तथा मान्य् न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को कायम रखा। मान्य् न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसार खातेदारों के मध्य वादगत खेतो का अंतिम रूप से विभाजन हो गया तथा राजस्व अक्स में विभाजन के मुताबिक रकबा तरमीम हो गया। खातेदारो के मध्य विभाजन की डिक्री के अनुसार खाता विभाजन होने पर दावा में वर्णित [illegible] कायम हो गये । मान्य् न्यायालय द्वारा पूर्व में [illegible] वाद में उन्ही पक्षकारो के मध्य वादगत [illegible] अंतिम रूप से हो चुका हैं। [illegible] उत्पन अधिकार के अधीन उक्त [illegible] के निर्णय को छुपाते हुये और प्रस्तुत कर दिया, पूर्व में [illegible]क्षित वाद में भी प्रत्येक्षत और सारतः विवाद का निस्तारण मान्य् न्यायालय द्वारा किया जा हैं। परन्तु वादीगण ने उन्ही विवादो को लेकर पुनः दावा प्रस्तुत किया हैं । मान्य् न्यायालय वादगत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

3

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (बीकानेर)

खेत खसरानो का निर्णय व डिक्री उन्ही पक्षकारों के मध्य अंतिम रूप से कर चुका हैं । इसलिए वादीगण के विरूद्ध पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होता हैं तथा न्यायालय द्वारा उक्त दावा का विचारण नही किया जा सकता हैं । एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का दावा जाब्ता दीवानी 1908 की धारा 11 Res Judicata की परिधि में आता हैं तथा दावा इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें । प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय की नजीर आरएलडब्ल्यू 2004 पृष्ठ संख्या 56 से 73 न्यायिक दृष्टान्त पेश की गई।

प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी/ प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण ने यह दावा खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1286/387 तादादी 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 तादादी 5.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 तादादी 5.2400 हैक्टेयर, 204 तादादी 3.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 तादादी 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 तादादी 6.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1284/337 तादादी 8.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1291/650 तादादी 11.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1290/650 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1288/387 तादादी 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1289/650 तादादी 2.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 तादादी 7.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1287/387 तादादी 5.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1292/650 तादादी 13.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1283/337 तादादी 4.3900 हैक्टेयर रोही झंझेऊ के घोषणात्मक एवं निषेधाज्ञा का दावा का पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा कथित दावा मुकदमा नम्बर 24/2005 सविता बनाम आसूराम जो खसरा नम्बर 186 तादादी 7.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 तादादी 12.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 तादादी 11.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 तादादी 5.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 तादादी 33.3500 हैक्टेयर कुल मुल 5 खसरानो का था जबकि वादीगण का दावा कुल 9 खसरानो का है। पूर्व में निर्णित दावा खाता विभाजन का था एवं यह दावा घोषणात्मक का है जिसमें वादीगण द्वारा पारिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण के हिस्से में आये हुए खसरानो का है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा में पूर्व में निर्णय हुए दावा का मद संख्या 5 में हवाला दिया हुआ है जिसमें वादीगण को बिना सुने ही दावा का निर्णय किया है। वादीगण के विरूद्ध बिना सुने किया गया पूर्व दावा इस प्रकरण पर लागू नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी रेस ज्यूडिकेटा का है रेस ज्यूडिकेटा तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसमें जबाबदावा, तनकी एवं साक्ष्य आवश्यक है बिना जबाबदावा, साक्ष्य एवं तनकी के रेस ज्यूडिकेटा तय नही किया जा सकता इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होता क्योकि जो दावा जिन पक्षकारों के मध्य था वो अभी तक पत्रावली में उपस्थित नही आये है न ही उनको तामिल हुई प्रार्थीगण उक्त दावा मे पक्षकार भी नही थे। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। वादीगण का दावा घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

का है जिसमें रेस ज्यूडिकेटा लागू नही होता वादीगण का हक अभी तक किसी भी दावा में तय नही हुए है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वादीगण ने यह दावा पारिवारिक विभाजन के अनुसार आये हुए खेतो के खातेदारी घोषणा का पेश किया है जो प्रतिवादीगणो के जबाबदावा पेश होने एवं तनकी कायम होने एवं साक्ष्य होने के बाद ही तय हो सकेगा। जबाबदावा तनकी एवं साक्ष्य के बिना रेस ज्यूडिकेटा तय नही किया जा सकता वादीगण का हको का निर्धारण जबाबदावा के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा लागू नही होता है । एवं निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जो इस दावा लागू नही होने के कारण खारिज किया जावे। वादीगण/अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेर की नजीर 2015(1) आरआरटी 655 पृष्ठ संख्या 655 से 658 न्यायिक दृष्टान्त पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादगत खेत खसरान का खातेदारो के मध्य एक दावा सविता बनाम आसुराम वगैराह नम्बर मुकदमा 24/05 घोषणात्मक, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का मान्य न्यायालय के समक्ष चला था। जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2007 को हो गया। उक्त दावा की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, अपील संख्या 41/2007 व अपील संख्या 56/2007 प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय भी दिनांक 16.03.2007 को हो गया तथा न्यायालय का निर्णय कायम रखा । राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय की अपील वादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय दिनांक 31.03.2024 को हो गया तथा मान्य् न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को कायम रखा। मान्य् न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसार खातेदारों के मध्य वादगत खेतो का अंतिम रूप से विभाजन हो गया तथा राजस्व अक्स में विभाजन के मुताबिक रकबा तरमीम हो गया। खातेदारो के मध्य विभाजन की डिक्री के अनुसार खाता विभाजन होने पर दावा में वर्णित नये खसरे कायम हो गये । मान्य् न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित वाद में उन्ही पक्षकारो के मध्य वादगत खेतो का निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से हो चुका हैं। वादीगण ने पूर्व में निर्णित व्युत्पन अधिकार के अधीन उक्त दावा पूर्व दावा के निर्णय को छुपाते हुये और प्रस्तुत कर दिया, पूर्व में संक्षित वाद में भी प्रत्येक्षत और सारतः वि[illegible] न्यायालय द्वारा किया जा हैं। परन्तु वादीगण [illegible] विवादो को लेकर पुनः दावा प्रस्तुत [illegible] वादगत खेत खसरानो का निर्णय [illegible] कारो के मध्य अंतिम रूप से कर चुका है । इसलिए वादीगण के विरूद्व पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता हैं तथा न्यायालय द्वारा उक्त दावा का विचारण नही किया जा सकता हैं । एवं वादीगण द्वारा अपने अर्जेन्ट सुनवाई प्रार्थना पत्र के जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि वादीगण द्वारा वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (बीकानेर)

खेतो के सम्बन्ध में हाईकोर्ट जोधपुर में अपील पेश करने के लिए पत्रावली हाईकोर्ट एडवोकेट के पास भजी हुई है। वादीगण का दावा जाब्ता दीवानी 1908 की धारा 11 Res Judicata की परिधि में आता हैं लिहाजा वादी वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमीलपूर्ति वाजिब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested